2158

18/9/18 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील उभय
पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली आज
दि० 07 R।।जा.डी० के [illegible] किये जाने पर खारिज की
जा चुकी है ऐसी स्थिति में इस पत्रावली का कोई
औचित्य नहीं रह गया है अतः यह पत्रावली भी अग्रिम
कार्यवाही हेतु [illegible] आवेदिका का खारिज
की जाती है एवं पूर्व में जारी स्थगन आदेश निरस्त
किये जाते हैं। फैसला सुनाया गया। नकल के फार्म
हो। बाद तकमील सलग्न मूल दावा रहे। [illegible]

(हस्ताक्षर)
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner